समाचार वाणी
ख़बर जो करें असर !

नाशिक | Tuesday, 22 September 2026

मुंबई : दाऊद के करीबी इकबाल मिर्ची की मुंबई स्थित 500 करोड़ की संपत्तियों पर ED की बड़ी कार्रवाई

Sanket Morankar
Published on 15 May 2026

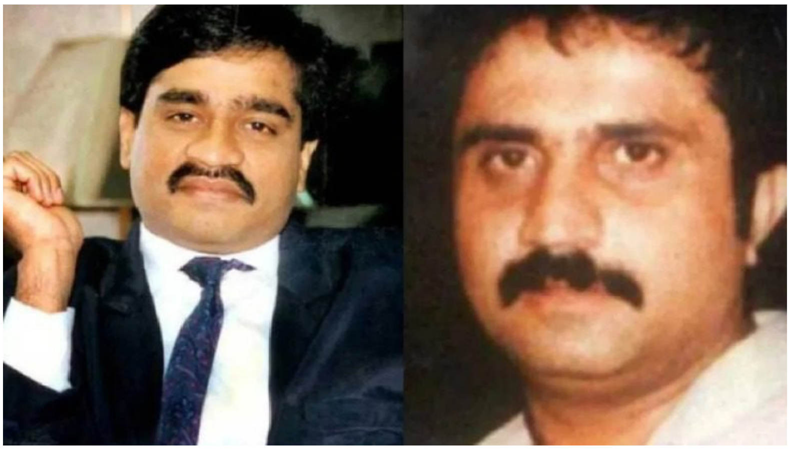

मुंबई: अंडरवर्ल्ड डॉन Dawood Ibrahim के करीबी और ड्रग तस्कर Iqbal Mirchi से जुड़ी मुंबई की करोड़ों रुपये की संपत्तियों पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने वरली इलाके में स्थित सी व्यू, मरियम लॉज और राबिया मेंशन नाम की तीन इमारतों को जब्त कर लिया है। इन संपत्तियों की अनुमानित कीमत करीब 500 करोड़ रुपये बताई जा रही है।

ईडी के अनुसार, ये तीनों संपत्तियां लगभग 4970.41 वर्ग मीटर यानी करीब 1.2 एकड़ क्षेत्र में फैली हुई हैं। जांच एजेंसी का दावा है कि इन संपत्तियों को वर्ष 1986 में एक पार्टनरशिप फर्म के जरिए खरीदा गया था और बाद में इन्हें एक ट्रस्ट के नाम पर रखा गया।

ईडी ने आरोप लगाया है कि “सर मोहम्मद यूसुफ ट्रस्ट” केवल एक फ्रंट के रूप में इस्तेमाल किया गया था। एजेंसी का यह भी कहना है कि वर्ष 2005 में गलत जानकारी देकर इन संपत्तियों को अटैचमेंट से मुक्त कराया गया था।

इस मामले में विशेष PMLA कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए इकबाल मिर्ची के परिवार को फरार आर्थिक अपराधी घोषित किया है। इसके बाद फरार आर्थिक अपराधी कानून (FEO Act) के तहत इन संपत्तियों को जब्त करने की अनुमति दी गई। इससे पहले भी इन संपत्तियों को PMLA कानून के तहत अटैच किया गया था।

FEO कानून के तहत किसी आरोपी को फरार आर्थिक अपराधी घोषित किए जाने के बाद जांच एजेंसियों को उसकी संपत्तियों को जब्त करने और उनका नीलाम करने का अधिकार मिल जाता है। माना जा रहा है कि ईडी जल्द ही इन संपत्तियों की नीलामी को लेकर भी फैसला ले सकती है।

बीते कुछ महीनों में ईडी ने इकबाल मिर्ची और उससे जुड़े लोगों की कई अन्य संपत्तियों पर भी कार्रवाई की है। इनमें जुहू स्थित बंद पड़े मीना होटल का प्लॉट और महाबलेश्वर में स्थित एक फार्महाउस भी शामिल है।

इकबाल मिर्ची की वर्ष 2013 में लंदन में मौत हो गई थी। हालांकि विशेष अदालत ने उसकी पत्नी हजरा और उसके दोनों बेटों असीफ और जुनैद को फरार आर्थिक अपराधी घोषित किया है। उनकी संपत्तियों को जब्त करने के लिए भी ईडी ने अदालत में आवेदन दिया है।

ईडी की इस कार्रवाई को मुंबई में अंडरवर्ल्ड से जुड़े आर्थिक नेटवर्क पर बड़ी चोट माना जा रहा है।

DISCLAIMER: the views/contents expressed/presented herein, within this advertorial and promotional feature are the sole and exclusive responsibility of individual clients/expert/their authorised representative/Sanket Morankar, to which effect, publication house/its representative/affiliates are not responsible/liable whatsover.